

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर


क्रमांक : संस्था.-I/विविध - -II/2021/ 3112

दिनांक : 01/04/2021

कार्यालय-आदेश

सिण्डीकेट के विनिश्चय संख्या 6.3.2 दिनांक 29.12.2020 एवं कार्यालय के आदेश क्रमांक Esst.-I/2019/12209 दिनांक 13.06.2019 की निरन्तरता में राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक/मुख्य आवासाधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/मुख्य कुलानुशासक को ग्रीष्मावकाश के दौरान दायित्वों के निर्वहन के लिए उपस्थित रहने पर पी.एल./सी.सी.एल. लेने हेतु कुलपति महोदय की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त क्रम में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक/मुख्य आवासाधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/मुख्य कुलानुशासक द्वारा यदि पूर्व में पत्र समय पर कार्यालय को प्रेषित किया है तो रोके गये शिक्षकों को सी.सी.एल. देय होगी।


(कै.एम. दूडिया)
31/03/2021
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.-I/विविध - -II/2021/ 3113-63


दिनांक : 01/04/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग/समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय/मानद निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/केन्द्रीय पुस्तकालय/प्रबन्धन/गाँधीयन स्टडीज/जैन स्टडीज/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/मुख्य आवासाधिकारी (पुरुष/महिला)/मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि अवकाश खाते में उक्त अवकाश इन्द्राज करवाने के लिए आवेदन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही अन्य शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में रोकने से पूर्व सक्षम स्वीकृति लिया जाना अत्यावश्यक है।
2. उप-कुलसचिव (लेखा एवं वित्त), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।


(डॉ. दीपक सक्सेना)

उप कुलसचिव (संस्था.-I)


25/3/21 o/c Ramesh
24.03.21